

आदेश
बाँरे में दि

न्यायालय अपर समाहर्ता-सह-आर्बिट्रेटर, बोकारो।

भू-अर्जन अपील वाद संख्या-05 /2018-19

(सत्या देवी बनाम् NHA1 एवं अन्य)

की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहि
28-08-2020 28/8/20	<p>प्रस्तुत अपीलवाद सक्षम पदाधिकारी-सह-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो के भू-अर्जनवाद संख्या-10/2011-12, एवार्ड क्रमांक-149 में पारित आदेश के विरुद्ध, सत्या देवी, पति श्री शिवनाथ महतो, ग्राम-पुपुनकी पोस्ट- पुपुनकी आश्रम, थाना-चास मु०, जिला-बोकारो के द्वारा लाया गया है।</p> <p>उक्त वाद मौजा पुपुनकी खाता नं०-1, प्लॉट नं०-640 /5, रकवा-0.0267 एकड़ से संबंधित है।</p> <p>उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी का कथन है कि मौजा पुपुनकी खाता नं०-1, प्लॉट नं०-640 /5, कुल रकवा-0.0267 एकड़ भूमि रैयती खतियानी भूमि है। जिला भू-अर्जन विभाग के द्वारा अर्जित किये गये भूमि का मूल्य कृषि योग्य भूमि के दर पर निर्धारित किया गया है। कुल रकवा- 0.0267 एकड़ भूमि का मूल्य 165570.00 (एक लाख पैंसठ हजार पाँच सौ सत्तर) रूपये को आपत्ति के साथ रैयतों के द्वारा मुआवजा लिया गया है। उक्त भूमि एन०एच० के बगल में है एवं अगल-बगल में मकान अवस्थित है तथा बोकारो स्टील सिटी, सेक्टर-11 बगल में अवस्थित है, जिससे यह स्पष्ट है कि अधिग्रहित की गई भूमि आवासीय /व्यवसायिक योग्य है, परन्तु भू-अर्जन विभाग के द्वारा कृषि योग्य भूमि बताकर भूमि का मूल्यांकन किया गया है, जो गलत है। आवेदक के द्वारा आवासीय /व्यवसायिक भूमि का मूल्य निर्धारित करने हेतु अनुरोध किया गया है।</p>	

28/8

प्रादेश की क्रम सं०
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आ

उभय पक्षों
कागजातों के अवलोकन
नं०-1, प्लॉट नं०-640

द्वितीय पक्ष NHA के द्वारा अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह वर्णित किया गया है कि भूमि के मूल्यांकन के साथ-साथ भूमि की श्रेणी और आवेदक को भुगतान की गयी मुआवजा राशि उचित है, इसलिए इनके द्वारा किये जा रहे दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है तथा संबंधित वाद को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस कार्यालय के पत्रांक 2184/रा०, दिनांक 21.08.2020 के द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो से संदर्भित अपीलवाद में जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो का पत्रांक 450(A)/भू०अ०, दिनांक 29.08.2020 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जो अभिलेख में संधारित है। जॉच प्रतिवेदन में वर्णित किया गया है कि मौजा पुपुनकी में आवेदित प्लॉट संख्या-640 /5 धारा 3A में भूमि का किस्म गोडा 3 गजट में दर्ज है। धारा 3A के अनुरूप धारा 3G में भूमि का किस्म कृषि दर्ज किया गया है। NHA के द्वारा धारा 3A की अधियाचना में भूमि का किस्म गोडा 3 प्रस्तुत किया गया था तथा धारा 3A में दर्ज भूमि के किस्म के अनुरूप धारा 3G तैयार करने हेतु NHA द्वारा पत्र भी उपलब्ध कराया गया था। धारा 3A के प्रकाशन के बाद भूमि के किस्म में परिवर्तन हेतु हितबद्ध रैयतों द्वारा किसी प्रकार का कोई दावा ससमय प्राप्त नहीं हुआ था।


आवेदक के द्वारा अपने वक्तव्य एवं लिखित जवाब के समर्थन में ऐसी कोई कागजात /साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उनके द्वारा किये जा रहे दावे को बल मिल सके।


आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख वदि

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं दाखिल किये गये कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मौजा पुपुनकी खाता नं0-1, प्लॉट नं0-640 /5, रकवा-0.0267 एकड़ भूमि कृषि योग्य भूमि है। सर्वे खतियान में भी भूमि का किस्म कृषि दर्ज है। उपरोक्त भूमि NH-32 के लिए अधिग्रहित भूमि है, जिसका मूल्यांकन जिला भू-अर्जन कार्यालय, बोकारो द्वारा नियमानुसार सही प्रक्रिया अपनाते हुए बिना किसी भेदभाव के किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक द्वारा दाखिल किये गये अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। उक्त आदेश की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो/परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, धनबाद को भेजें।
लेखापित एवं संशोधित।


अप्रर समाहर्ता
-सह-
आर्बिट्रेटर, बोकारो।


अप्रर समाहर्ता
-सह-
आर्बिट्रेटर, बोकारो।